फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू -1)

Reserve Bank of India
Department of Statistics and Information Management
Central Office Mumbai
भारतीय रिज़र्व बैंक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई

फेमा 1999 के तहत विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू -1)

FLA फाइल करने के बारे में सामान्य निर्देश और उससे जुड़ी परिभाषाएँ

विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों पर वार्षिक रिटर्न (एफएलए) को फेमा 1999 (ए.पी. (DI आर सीरीज) दिनांक 15 मार्च, 2011 के परिपत्र संख्या 45) के तहत अधिसूचित किया गया है और इसे सभी भारतीय-निवासी कंपनियों/एलएलपी/अन्य (सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), साझेदारी फर्म, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित) (इसके बाद 'इकाईयों' के रूप में संदर्भित) जिन्होंने पिछले किसी भी वर्ष चालू वर्ष सहित, में एफ DI प्राप्त किया है और/या विदेशी निवेश किया है, द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एफएलए रिटर्न भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग (FLAIR) पोर्टल https://flair.rbi.org.in/ पर फाइल किया जा सकता है। एआईएफ (AIF) को एफएलए रिटर्न दाखिल करने हेतु नवीनतम प्रारूप प्राप्त करने के लिए flareturn@rbi.org.in पर एक मेल भेजने की आवश्यकता है।

<u>गोपनीय धाराएँ</u>: एफएलए रिटर्न के तहत एकत्र की गई इकाई-वार जानकारी को गोपनीय रखा जाता है और रिज़र्व बैंक द्वारा केवल समेकित समुच्चय ही जारी किए जाते हैं।

रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा आयोजित *समकक्ष अर्थव्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष निवेश की स्थिति - DI पी* (पूर्ववर्ती समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण - सी DI एस) और *समकक्ष अर्थव्यवस्था द्वारा* पोर्टफोलियो निवेश *की स्थिति* (पूर्ववर्ती समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण - सीपीआईएस) में भाग लेता है। यहां पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) के मार्च के अंत और इन संस्थाओं के नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में विदेशी वित्तीय देयताओं और परिसंपत्तियों की स्थिति से संबंधित एफएलए रिटर्न से एकत्र की गई समेकित जानकारी का उपयोग किया जाता है।

इस जानकारी का उपयोग भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) के संकलन में भी किया जाता है। इकाई यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि एफएलए में दिया गया डेटा सही है, और किसी भी बदलाव के मामले में, नवीनीकरण/संशोधित एफएलए रिटर्न फाइल करना होगा (इस डॉक्यूमेंट के **Q10**. में बदलाव का प्रोसेस दिया गया है)।

विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. किन इकाईयों को एफ़एलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता होती है?

उत्तर: विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न को निम्नलिखित इकाईयों, जिन्होंने पिछले वर्ष (ओं) में वर्तमान वर्ष सहित एफ DI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्राप्त किया है और/या विदेश में एफ DI (अर्थात प्रत्यक्ष ओवरसीज़ निवेश) किया है, यानि जो अपनी बैलेंस शीट में विदेशी संपत्ति या/और देनदारियां रखते हैं, द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है;

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4) के तहत एक कंपनी।
- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)।
- अन्य [सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), भागीदारी फर्म, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आदि शामिल हैं।]

प्रश्न 2. एफएलए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख क्या है?

उत्तर: प्रश्न 1 में उल्लिखित इकाईयों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष **15 जुलाई** तक इकाई के लेखापरीक्षित/अलेखा-परीक्षित खातों के आधार पर फेमा 1999 के तहत एफ़एलए रिटर्न जमा करना आवश्यक है।

प्रश्न 3. यदि हम 15 जुलाई तक उक्त एफएलए रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे?

उत्तर: नियत तारीख (प्रत्येक वर्ष की 15 जुलाई) को या उससे पहले रिटर्न दाखिल न करने को फेमा का उल्लंघन माना जाएगा और फेमा के उल्लंघन के लिए पेनाल्टी क्लॉज लगाया जा सकता है। पेनाल्टी क्लॉज के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक को देखें:

1. Notification No. FEMA. 395/2019-RB dated October 17, 2019
2. A.P. (DIR Series) Circular No.16 dated September 30, 2022

प्रश्न 4. इकाईयों द्वारा आरबीआई को एफएलए रिटर्न की रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए?

उत्तर: ऑनलाइन वेब-आधारित पोर्टल विदेशी देयताएं और संपत्ति सूचना रिपोर्टिंग (फ्लेयर) प्रणाली जिसका पता https://flair.rbi.org.in/ है, के माध्यम से इकाईयां एफएलए रिटर्न जमा कर सकती हैं।

- URL https://flair.rbi.org.in/ तक पहुँचने के लिए, किसी भी ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स आदि का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी ब्राउज़र इस एप्लिकेशन को सपोर्ट करते हैं।
- इकाई को **नई इकाई उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण** पर क्लिक करके पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- इकाई को एफएलए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म में विवरण भरना होगा, उल्लिखित दस्तावेजों (सत्यापन पत्र और प्राधिकरण पत्र) को अपलोड करना होगा और पंजीकरण पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अधिकृत व्यक्ति की मेल आईडी पर भेजा जाएगा। इस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके, इकाईयां फ्लेयर पोर्टल पर लॉग इन कर सकती हैं और एफ़एलए रिटर्न फाइल कर सकती हैं।

एफएलए पर वार्षिक रिटर्न जमा करने के लिए ऑनलाइन वेब-आधारित सभी निर्देश, एफएक्यू के साथ, फ्लेयर पोर्टल पर तत्काल उपलब्ध हैं।

किसी भी इकाई को एफएलए रिटर्न भरने के स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस के सभी सेक्शन के लिए

- "एफएलए यूज़र रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म" पर यूज़र मैनुअल
- "ऑनलाइन एफएलए फ़ॉर्म भरना" पर यूज़र मैनुअल
- एफएलए के लिए एफएक्यू - 2

पढ़ना चाहिए।

प्रश्न 5. एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) एफएलए रिटर्न कैसे फाइल कर सकता है?

उत्तर: एआईएफ को फ्लेयर पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता है। चूंकि अभी तक एआईएफ के लिए निर्धारित प्रारूप में एफएलए रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पोर्टल पर पंजीकरण पूरा करने के बाद एआईएफ को एफएलए रिटर्न दाखिल करने हेतु नवीनतम प्रारूप प्राप्त करने के लिए flareturn@rbi.org.in पर एक मेल भेजने की आवश्यकता है। तत्पश्चात एफएलए टीम उन्हें एआईएफ द्वारा एफएलए रिटर्न भरने के लिए मेल के माध्यम से excel आधारित प्रारूप भेजेगी। उन्हें excel फॉर्मेट भरना होगा और उसे flareturn@rbi.org.in पर भेजना होगा। एफ़एलए टीम भरे हुए एफ़एलए फॉर्म प्राप्त होने और वैधीकरण होने पर ईमेल आधारित पावती प्रेषित करेगी।

प्रश्न 6. यदि 15 जुलाई तक खातों/वित्तीय का ऑडिट नहीं किया जाता है, तो क्या अलेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ एफएलए रिटर्न दाखिल करना संभव है?

उत्तर: इकाई नियत तारीख के भीतर उपलब्ध अनंतिम/अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एफएलए रिटर्न दाखिल कर सकती है। एक बार ऑडिट किए गए वित्तीय खाते तैयार हो जाने के बाद, इकाई को फ्लेयर पोर्टल के माध्यम से संशोधित/अद्यतन एफएलए रिटर्न जमा करने की अनुमति के लिए अनुरोध करना आवश्यक है, और अनुमोदन पर, कृपया लागू वित्तीय वर्ष/(वर्षों) के लिए संशोधित एफएलए रिटर्न दाखिल करें। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध होते ही संशोधित एफएलए दाखिल करने का ध्यान रखा जाना चाहिए।

प्रश्न 7. ऐसे मामले जहां इकाई का लेखा बंद करने की अवधि संदर्भित अवधि (मार्च अंत) से भिन्न है, क्या हम खाता बंद होने की अवधि के अनुसार सूचना की रिपोर्ट कर सकते हैं?

उत्तर: नहीं, इकाई लेखा बंद करने की अवधि यदि यह मार्च क्लोजिंग से भिन्न है के अनुसार सूचना की रिपोर्ट नहीं कर सकती। इकाई के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सूचना को केवल संदर्भित अवधि अर्थात पिछले मार्च और नवीनतम मार्च के लिए रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

प्रश्न 8. यदि कोई पुरानी/नई इकाई पिछले वर्ष के एफ़एलए फॉर्म को भरना चाहती है तो क्या वे ऐसा कर सकती है?

उत्तर: हां, इकाईयां आरबीआई से मंजूरी लेकर, इकाई पिछले किसी भी वर्ष के लिए एफएलए रिटर्न दाखिल कर सकती है लेकिन उस मामले में, देर से जमा करने के लिए इकाई पर पेनाल्टी क्लॉज़ लागू किया जा सकता है।

प्रश्न 9. एफएलए रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर इकाई देर से जमा करने का शुल्क (एलएसएफ) का भुगतान कैसे करती है?

उत्तर: विलंब से जमा करने वाले शुल्क के भुगतान के लिए, इकाई से अनुरोध किया जाता है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) से संपर्क करे, जिसके अधिकार क्षेत्र में इकाई का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। आप https://firms.rbi.org.in पर मौजूद एफएक्यू और यूज़र मैनुअल देख सकते हैं। आप FIRMS हेल्पडेस्क से ईमेल helpfirms@rbi.org.in पर भी संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न 10. यदि कोई इकाई एफ़एलए फॉर्म के पिछले संस्करण को हटाना या संशोधित करना चाहती है, तो क्या वे ऐसा कर सकती है?

उत्तर: हां, इकाई आरबीआई से अनुमोदन लेने के बाद पहले की अवधि के लिए एफएलए रिटर्न में प्रस्तुत जानकारी को हटा /संशोधित कर सकती है। मंज़ूरी लेने का तरीका FLAIR पोर्टल पर दिया गया है। बिना मंज़ूरी के, कोई भी कंपनी संशोधित एफएलए रिटर्न फाइल नहीं कर सकती।

मंज़ूरी के लिए कृपया यह तरीका अपनाएँ -

FLAIR में लॉगिन करें → "मेन्यू" (ऊपर बाएँ कोने में) पर जाएँ → "मल्टीपल ईयर CIN इनेबल स्क्रीन" पर जाएँ → साल चुनें और सबमिट करें।

अगर अनुरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो त्रुटि स्क्रीन शॉट ईमेल आईडी flareturn@rbi.org.in पर शेयर करें।

प्रश्न 11. यदि किसी इकाई ने चालू वर्ष सहित पिछले किसी भी वर्ष (वर्षों) में एफ DI प्राप्त नहीं किया है या विदेशी निवेश नहीं किया है, तो क्या हमें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर: यदि भारतीय इकाई के पास रिपोर्टिंग वर्ष के मार्च अंत तक आवक और जावक एफ DI के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है तो उन्हें एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 12. यदि किसी इकाई के पास केवल शेयर आवेदन राशि है तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करना चाहिए?

उत्तर: यदि किसी इकाई को केवल शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है और नवीनतम वित्तीय वर्ष के मार्च अंत तक कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश बकाया नहीं है तो उसे एफएलए रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 13. यदि किसी इकाई के पास इस साल के मार्च के आखिर में कोई आवक एफ DI / ओवरसीज़ निवेश बकाया नहीं है, तो क्या इस साल के लिए एफएलए रिटर्न फाइल करना अभी भी लागू होगा?

उत्तर: हाँ, एफएलए रिटर्न में दो साल का डेटा (वर्तमान और पिछले साल दोनों) होता है, अगर कंपनी के पास रिपोर्टिंग साल और/या पिछले साल के मार्च के आखिर तक कोई आउटस्टैंडिंग एफ DI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और/या ओवरसीज निवेश है, तो कंपनी को एफएलए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है।

प्रश्न 14. क्या एफ़एलए रिटर्न के साथ कोई वित्तीय विवरण जैसे तुलन पत्र या पी एंड एल खाते (लेखा-परीक्षित/अलेखापरीक्षित) जमा करना आवश्यक है?

उत्तर: नहीं, तुलन पत्र या लाभ और हानि (पी एंड एल) खातों को एफएलए रिटर्न के साथ जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 15. यदि किसी इकाई के अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर निवासियों को हस्तांतरित कर दिए हैं, तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर: अगर सभी अनिवासी शेयरधारकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपने शेयर रेसिडेंट्स को हस्तांतरित कर दिए हैं, तो इकाई रिपोर्टिंग अवधि के लिए **एफएलए** रिटर्न फाइल कर सकती है, जिसमें पिछले साल मार्च के आखिर तक बकाया विदेशी वित्तीय देयताओं और आस्तियों का विवरण हों, और चालू वर्ष के लिए, विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) को एफएलए रिटर्न (खंड-III) के सही फील्ड्स में दिखाना होगा। अगर **इकाई** के पास पिछले और वर्तमान साल दोनों के लिए आवक और/या जावक एफ DI के संबंध में कोई बकाया निवेश नहीं है, तो कंपनी को **एफएलए** रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 16. अगर किसी इकाई का रेजिडेंट शेयरहोल्डर विदेश में शिफ्ट होने की वजह से नॉन-रेजिडेंट बन जाता है, तो क्या हमें एफएलए की रिपोर्ट करनी चाहिए?

उत्तर: हाँ। एफएलए रिटर्न नीचे दी गई शर्तों के तहत फाइल करना होगा:

(a) अगर जारी किए गए सभी शेयर सिर्फ़ नॉन-रिपैट्रिएशन बेसिस पर हैं, तो एफएलए फाइल करने की ज़रूरत नहीं है।

(b) अगर जारी किए शेयर रिपैट्रिएशन वाले हैं, तो एफएलए रिपोर्ट करना आवश्यक है।

प्रश्न 17. यदि एक इकाई अनिवासी को नॉन-रिपैट्रिएबल आधार पर शेयर जारी करती है, तो क्या उस इकाई को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है?

उत्तर: रिपोर्टिंग इकाईयों द्वारा **नॉन-रिपैट्रिएबल** आधार पर अनिवासी को जारी किए गए शेयरों को विदेशी निवेश नहीं माना जाएगा; इसलिए उन संस्थाओं को एफएलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ उपयोगी परिभाषाएँ

प्रश्न 18. "उद्यमों के निवास" का क्या अर्थ है?

उत्तर: एक उद्यम को आर्थिक हित का केंद्र और किसी देश (आर्थिक क्षेत्र) की निवासी इकाई कहा जाता है, जब उद्यम उस केंद्र में माल और/या सेवाओं के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण मात्रा में लगा होता है या जब वह उस केंद्र में स्थित भूमि या भवनों का स्वामी हो। उद्यम को देश में कम से कम एक उत्पादन प्रतिष्ठान बनाए रखना चाहिए और प्रतिष्ठान को अनिश्चित काल तक या लंबी अवधि में संचालित करने की योजना बनानी चाहिए।

प्रश्न 19. प्रत्यक्ष निवेश क्या है?

उत्तर: प्रत्यक्ष निवेश अंतरराष्ट्रीय निवेश की एक श्रेणी है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में एक निवासी इकाई [प्रत्यक्ष निवेशक (DI)] एक अन्य अर्थव्यवस्था [प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (DIE)] के निवासी उद्यम में स्थायी हित प्राप्त करता है। इसमें दो घटक होते हैं, अर्थात इक्विटी पूंजी और अन्य पूंजी।

प्रश्न 20. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?

उत्तर: यदि भारतीय कंपनी ने भारत में एफ DI योजना के तहत अनिवासी संस्थाओं को शेयर जारी किए हैं, तो इसे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (देनदारियों), एफएलए रिटर्न के खंड - III के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि अनिवासी इकाई रिपोर्टिंग भारतीय इकाई में 10 प्रतिशत या अधिक इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर रखती है, तो इसे खंड III के 1.b एफ DI के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि अनिवासी इकाई के पास रिपोर्टिंग भारतीय इकाई की इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से कम हिस्सा है, तो इसे खंड III के 2.b DI के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए। दोनों ही मामलों में, अनिवासी इकाई को प्रत्यक्ष निवेशक (DI) कहा जाता है जबकि रिपोर्टिंग भारतीय इकाई को प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (DIE) कहा जाता है।

यदि रिपोर्टिंग भारतीय इकाई भी विदेश में अपनी DI कंपनी में इक्विटी शेयर रखती है और यदि उसकी शेयरधारिता DI इकाई की इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से कम है, तो इसे रिवर्स निवेश कहा जाता है और इसे संबंधित ब्लॉकों यानी खंड III के 1.b एफडीआई (FDI) और 2.b डीआई (DI) के आइटम 1.2 (प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

प्रश्न 21. प्रत्यक्ष निवेश के तहत "इक्विटी पूंजी" का क्या अर्थ है?

उत्तर: इसमें (1) शाखाओं में विदेशी इक्विटी और सहायक कंपनियों और सहयोगियों में सभी शेयर (नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयरों को छोड़कर) शामिल हैं; (2) इक्विटी भागीदारी द्वारा DIE को प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा मशीनरी, भूमि और भवन (ओं) के प्रावधान जैसे योगदान; (3) DIE द्वारा अपनी प्रत्यक्ष निवेशक कंपनी में शेयरों का अधिग्रहण, जिसे रिवर्स निवेश (अर्थात DI पर दावा) कहा जाता है।

प्रश्न 22. एफ DI का 'अन्य पूंजी' घटक क्या है?

उत्तर: अन्य पूंजी एक ऋण है जिसे निम्नानुसार रिपोर्ट किया जाना है;

a) खंड III (1.b एफ DI) की अन्य पूंजी, के मद 2.1 और 2.2 में इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर (यानी व्यापार ऋण, ऋण, डिबेंचर, नॉन - पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर पूंजी, प्राप्य और देय आदि) को छोड़कर, नोमीनल वैल्यू पर अन्य सभी देनदारियां और दावे शामिल हैं, जिसमें भारतीय रिपोर्टिंग इकाई के प्रत्यक्ष निवेशक 10 प्रतिशत से अधिक इक्विटी रखते हैं।
b) खंड III (2.b प्रत्यक्ष निवेश) की अन्य पूंजी, के मद 2.1 और 2.2 में इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर (यानी व्यापार ऋण, ऋण, डिबेंचर, नॉन - पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर पूंजी, प्राप्य और देय आदि) को छोड़कर, नोमीनल वैल्यू पर अन्य सभी देनदारियां और दावे शामिल हैं, जिसमें अनिवासी निवेशक 10 प्रतिशत से कम इक्विटी रखते हैं और अप्रत्यक्ष संबंधित पार्टियां (साथी उद्यम या अंतिम मूल कंपनी या समूह कंपनी आदि) हैं।

प्रश्न 23. पार्टिसिपेटिंग और नॉन - पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर क्या हैं?

उत्तर: पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर वे शेयर होते हैं जिनके पास निम्नलिखित में से एक या अधिक अधिकार होते हैं:

(अ) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के बाद अधिशेष लाभ में से लाभांश प्राप्त करने के लिए।

(ब) कंपनी के समापन के मामले में पूरी पूंजी का भुगतान करने के बाद अधिशेष संपत्ति में हिस्सेदारी रखने के लिए।

दूसरी ओर नॉन - पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर वे शेयर हैं जिनके पास उपरोक्त में से कोई भी अधिकार नहीं है।

प्रश्न 24. "विदेशी सहायक", "विदेशी सहयोगी" और "विशेष प्रयोजन माध्यम" की परिभाषाएं क्या हैं?

उत्तर: विदेशी सहायक कंपनी: एक भारतीय इकाई को विदेशी सहायक कंपनी कहा जाता है यदि एक अनिवासी निवेशक के पास 50% से अधिक वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी है या जहां एक अनिवासी निवेशक और उसकी अनुषंगी (ओं) ने एक भारतीय उद्यम की मतदान शक्ति/इक्विटी पूंजी के 50% से अधिक का संयुक्त स्वामित्व किया है।

विदेशी सहयोगी: एक भारतीय इकाई को विदेशी सहयोगी कहा जाता है यदि अनिवासी निवेशक के पास वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का कम से कम 10% और 50% से अधिक नहीं है या जहां अनिवासी निवेशक और उसकी सहायक कंपनी के पास कम से कम 10% लेकिन एक भारतीय उद्यम की वोटिंग पावर/इक्विटी पूंजी का 50% से अधिक न हो।

विशेष प्रयोजन माध्यम: एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) संकीर्ण, विशिष्ट या अस्थायी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई एक कानूनी इकाई (आमतौर पर किसी प्रकार की सीमित कंपनी या कभी-कभी, एक सीमित भागीदारी) है। ये इकाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवासी निवेशक द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। इन इकाइयों को आम तौर पर उनके निवासी निवेशक के साथ समेकित किया जाता है, क्योंकि उनके पास निर्णय लेने के लिए स्वायत्तता की कमी है

विशेष प्रयोजन इकाइयां (एसपीई): एसपीई एक औपचारिक रूप से पंजीकृत और/या निगमित कानूनी इकाई है जिसे रेजिडेंट इकॉनमी में एक संस्थागत इकाई के तौर पर मान्यता दी जाती है, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवासी (नॉन-रेजिडेंट्स) कंट्रोल करते हैं। इन्हें होस्ट (रेसिडेंट) के अधिकार क्षेत्र से मिलने वाले खास फायदे पाने के लिए बनाया जाता है, जिसका मकसद होता है (i) अपने मालिक(ओं) को कैपिटल मार्केट या एडवांस्ड फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंच देना, और/या (ii) मालिक(ओं) को वित्तीय जोखिम से अलग करना, और/या (iii) रेगुलेटरी और टैक्स का बोझ कम करना, और/या (iv) अपने और मालिक(ओं) के लेन-देन की गोपनीयता बनाए रखना। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पाँच कर्मचारी तक या बहुत कम रोज़गार होता है, कोई या बहुत कम भौतिक रूप से उपस्थित होती है, और होस्ट इकॉनमी में कोई या बहुत कम भौतिक उत्पादनहोता है।

प्रश्न 25. संबंधित पार्टी की परिभाषा क्या है?

उत्तर: एक संबंधित पार्टी एक व्यक्ति या इकाई है जो उस इकाई से संबंधित है जो अपने वित्तीय विवरण तैयार कर रही है (जिसे 'रिपोर्टिंग इकाई' कहा जाता है)।

एक व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई करीबी सदस्य रिपोर्टिंग इकाई से संबंधित है यदि उस व्यक्ति का:

(i) रिपोर्टिंग इकाई पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है।

(ii) रिपोर्टिंग इकाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है; या

(iii) रिपोर्टिंग इकाई या मूल रिपोर्टिंग इकाई के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का सदस्य है।

एक संबंधित पार्टी की परिभाषा में एक सहयोगी में सहयोगी की सहायक कंपनियां शामिल होती हैं और एक संयुक्त उद्यम में संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनियां शामिल होती हैं। अतः उदाहरण के लिए एक सहयोगी की सहायक कंपनी और सहयोगी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले निवेशक एक दूसरे से संबंधित हैं।

प्रश्न 26. भारतीय इकाइयों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश क्या है?

उत्तर: यदि रिपोर्टिंग भारतीय इकाई भारत में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट(ODI) स्कीम के तहत विदेशी कंपनी के इक्विटी और/या पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयरों में निवेश करती है, यानी विदेशों में संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निवेश करती है, तो इसे एफएलए रिटर्न की खंड IV के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि भारतीय इकाई विदेशी कंपनी में 10 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर रखती है, तो इसे 1.b ODI (आइटम 1.1, प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पर दावे) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि भारतीय इकाई के पास विदेशी कंपनी की इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से कम हिस्सा है, तो इसे 2.b DI (आइटम 1.1, प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पर दावे) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए। दोनों ही मामलों में, भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष निवेशक (DI) कहा जाता है जबकि विदेशी कंपनी को प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (DIE) कहा जाता है।

प्रश्न 27. ODI के 'अन्य पूंजी' घटक में क्या शामिल है?

उत्तर: अन्य पूंजी एक ऋण है जिसे इस तरह रिपोर्ट किया जाना है:

(a) खंड IV के 1.b ODI में अन्य पूंजी आइटम 2.1 और 2.2 में, रिपोर्टिंग भारतीय इकाई के, जिसकी DIE 1.b ODI में रिपोर्ट की गई है इक्विटी शेयर्स को छोड़कर, (यानी ट्रेड क्रेडिट, लोन, डिबेंचर, नॉन-पार्टिसिपेटिंग शेयर कैपिटल, दूसरे अकाउंट्स रिसीवेबल और पेयेबल्स वगैरह) नॉमिनल वैल्यू पर बाकी सभी क्लेम और लायबिलिटीज़ शामिल करता है।

(b) खंड IV के 2.b DI में अन्य पूंजी आइटम 2.1 और 2.2 में, भारतीय इकाई की नॉन-रेसिडेंट इकाइयों के साथ, जहाँ भारतीय इकाई के पास 10 परसेंट से कम इक्विटी है और संबंधित पार्टीज़ (साथी एंटरप्राइज या अल्टीमेट पेरेंट कंपनी या ग्रुप कंपनी वगैरह) के इक्विटी को छोड़कर, (यानी ट्रेड क्रेडिट, लोन, डिबेंचर, नॉन-पार्टिसिपेटिंग शेयर

कैपिटल रिपोर्टिंग, दूसरे अकाउंट्स रिसीवेबल और पेयेबल्स वगैरह) के नॉमिनल वैल्यू पर बाकी सभी लायबिलिटीज़ और क्लेम शामिल करता है।

प्रश्न 28. अगर विदेशी सहायक/जॉइंट वेंचर कंपनी का अकाउंटिंग अवधि, एफएलए **रिटर्न में रेफरेंस/रिपोर्टिंग अवधि (यानी अप्रैल-मार्च) से अलग है, तो हमें** खंड **IV में क्या जानकारी देनी चाहिए?**

उत्तर: इकाई को पिछले और वर्तमान साल के मार्च के आखिर तक बकाया बाह्य देनदारीयों और आस्तियों की जानकारी देनी होगी। अगर इंडियन रिपोर्टिंग इकाई की **विदेशी सहायक**/जॉइंट वेंचर का अकाउंटिंग अवधि रेफरेंस अवधि से अलग है, तो मार्च के आखिर की जानकारी आंतरिक मूल्यांकन आधार पर दी जानी चाहिए।

प्रश्न 29. कंपनी की नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है?

उत्तर: नेट वर्थ का फ़ॉर्मूला है = कुल इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल + रिज़र्व और सरप्लस (यह फ़ील्ड एफएलए फ़ॉर्म खंड-II में ऑटोमेटेड है, इकाइयों को इसे अलग से गणना करने की ज़रूरत नहीं है)।

प्रश्न 30. क्या इक्विटी पार्टिसिपेशन में इक्विटी शेयर के साथ-साथ कम्पल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर (CCD) भी शामिल हैं?

उत्तर: इकाई द्वारा जारी किए गए कम्पलसरी कन्वर्टिबल डिबेंचर (CCD) को चुकता पूंजी (एफएलए रिटर्न के खंड II में) में जानकारी देते समय चुकता पूंजी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर CCDs / डिबेंचर किसी अनिवासी अप्रत्यक्ष निवेशक के पास हैं, जिसके पास रिपोर्टिंग भारतीय इकाई के इक्विटी शेयर हैं, तो CCD / डिबेंचर होल्डिंग को 1.b FDI या 2.b DI (खंड III में) के 'अन्य पूंजी घटक में रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जो अनिवासी अप्रत्यक्ष निवेशक द्वारा रखी गई इक्विटी के परसेंट पर निर्भर करता है। हालांकि, अगर निवेशक के पास मार्च के आखिर तक सिर्फ़ CCD है, तो इसे भारत में पोर्टफोलियो निवेश (खंड-III में) के 3. के आइटम 2.2 में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। कम्पलसरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर(CCPS) की रिपोर्टिंग करते समय भी इसी तरह के ट्रीटमेंट पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रश्न 31. गैर-सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा विदेशी इक्विटी निवेश को रिपोर्ट करते समय कौन से मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उपयोग किया जाता है?

उत्तर: एफएलए रिटर्न के तहत गैर-सूचीबद्ध इकाइयों के लिए इक्विटी पूंजी के बाजार मूल्य की गणना किसी देश के सीडीआईएस डेटा के संकलन के तहत आईएमएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार बुक वैल्यू पर ओन फंड्स (ओएफवीबी) पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए OFBV में अनिवासी द्वारा धारित इक्विटी पूंजी का बाजार मूल्य

= (चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए कंपनी का नेटवर्थ) * (चालू वर्ष/पिछले वर्ष के लिए अनिवासी इक्विटी होल्डिंग %)

जहां, कंपनी की कुल संपत्ति

= (कंपनी की चुकता इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफ़रेंस शेयर पूंजी + आरक्षित और अधिशेष - संचित हानि)

प्रश्न 32. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा विदेशी इक्विटी निवेश की रिपोर्ट करते समय कौन से मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उपयोग किया जाता है?

उत्तर: इस फ़ील्ड की गणना ऑनलाइन वेब-आधारित रिपोर्टिंग (आइटम 1.1, खंड III) में स्वचालित रूप से की जाएगी. कंपनियों को इसकी अलग से गणना करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी सूचीबद्ध है संदर्भ अवधि अर्थात, पिछले और नवीनतम वर्ष के मार्च के अंत में इक्विटी निवेश के मूल्यांकन के लिए शेयर की क्लोजिंग कीमत का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रश्न 33. एफएलए रिटर्न में, क्या FDI को इमिडियट इन्वेस्टर के देश या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के देश के आधार पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए? हमें नॉन-रेसिडेंट अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के साथ रिसीवेबल्स/पेएबल्स की रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए?

उत्तर: ऊपर दी गई सिचुएशन को इस केस से बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है:

उदाहरण: मॉरिशस में इनकॉरपोरेटेड एक इकाई ने भारतीय इकाई में इन्वेस्ट किया है। मॉरिशस की इकाई की पेरेंट कंपनी USA में इनकॉरपोरेटेड है। तो, क्या USA में इनकॉरपोरेटेड पेरेंट कंपनी वाली भारतीय कंपनी के दावे और देनदारी को भी एफएलए रिटर्न में बताना होगा और अगर हाँ, तो कहाँ?

समाधान: एफएलए रिटर्न भरते समय, FDI रिपोर्टिंग इमिडियट इन्वेस्टर के देश के आधार पर होनी चाहिए। हालाँकि, अगर अनिवासी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के पास कोई रिसीवेबल्स/पेएबल्स हैं, तो उन्हें भी खंड III के तहत 2.b DI के 'अन्य पूंजी' घटक में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

ऊपर दिए गए उदाहरण के संबंध में, पेरेंट USA कंपनी के पास भारतीय इकाई के दावे और देनदारी को खंड III के तहत 2.b DI के 'अन्य पूंजी' घटक में रिपोर्ट किया जाएगा।

प्रश्न 34. क्या भारतीय पार्टी (यानी घरेलू आस्ति और देनदारियां) के लिए कोई आस्ति या देनदारियां एफएलए रिटर्न में शामिल की जानी हैं?

उत्तर: किसी भी घरेलू देनदारी या आस्ति (भले ही वह विदेशी मुद्रा में हो) को एफ़एलए रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए।

Some other common FAQs

प्रश्न 35. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर संशोधित एफएलए रिटर्न फाइल करने की सीमा रेखा क्या है और अनऑडिटेड आंकड़ों के आधार पर फाइल किए गए एफएलए रिटर्न में पहले से बताए गए आंकड़ों में कम से कम कितना परसेंटेज अंतर स्वीकार्य है?

उत्तर: अगर इकाई के पास 15 जुलाई की नियत तारीख तक या उससे पहले ऑडिटेड डेटा नहीं है, तो इकाई प्रोविजनल/अनऑडिटेड बेसिस पर एफएलए रिटर्न जमा कर सकती है। इसके अलावा, ऑडिटेड नंबर तैयार होने के बाद, इकाई को ऑडिटेड नंबर में किसी भी बदलाव (रकम/परसेंटेज) के बावजूद RBI से अप्रूवल लेने के बाद अपने डेटा को संशोधित करना होगा।

प्रश्न 36. हमारी इकाई Ind AS अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रही है, लेकिन पिछले साल यह उसके हिसाब से नहीं थी। इससे कई आइटम के लिए वेरिएशन रिपोर्ट में अमाउंट में अंतर आता है? कृपया कन्फर्म करें कि एफएलए डेटा को असली आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए या IND-AS स्टैंडर्ड के अनुसार?

उत्तर: रिपोर्टिंग साल में, अगर इकाई की बैलेंस शीट Ind AS के अनुसार है, तो एफएलए रिपोर्टिंग सिर्फ़ लेटेस्ट बैलेंस शीट के अनुसार ही ज़रूरी है। अगर पिछले साल Ind AS को फ़ॉलो नहीं किया गया था और यह वेरिएशन रिपोर्ट में दिखता है, तो कृपया वेरिएशन को इग्नोर करें, क्योंकि यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव की वजह से है।

प्रश्न 37. एफएलए रिटर्न फाइलिंग के लिए इकाई का नाम, पता, संपर्क डिटेल्स, मोबाइल नंबर बदलने का प्रोसेस समझाएं।

उत्तर: हमारी तरफ़ से ईमेल आईडी/ऑथराइज़्ड पर्सनल डिटेल्स/हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन डिटेल्स/ इकाई नेम/इकाई एड्रेस बदलने का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसलिए आपको कंपनी सिन और यूज़रनेम के साथ flareturn@rbi.org.in पर हमें अकाउंट डी-एक्टिवेशन ईमेल भेजना होगा। जब हम आपका पुराना अकाउंट डी-एक्टिवेट कर देंगे, तो आप नई डिटेल्स के साथ पोर्टल पर फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। डी-एक्टिवेशन रिक्वेस्ट ईमेल भेजे जाने के के बाद

अकाउंट डी-एक्टिवेट करने में 1-2 वर्किंग डेज़ का समय लगता है। अगर री-रजिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल किया गया आपका इकाई का सिन/ एलएलपिन/यूइन वही है जो पुराने अकाउंट में इस्तेमाल किया गया था, तो पहले भरा गया डेटा आपके नए अकाउंट पर अपडेट हो जाएगा।

प्रश्न 38. अगर रिपोर्टिंग साल के लिए एफएलए फाइल करने के बाद सिन नंबर में कोई बदलाव होता है, तो एफएलए को संशोधित करने का क्या प्रोसेस है, क्या एफएलए को नए सिन नंबर के साथ फाइल करने की ज़रूरत है?

उत्तर: अगर रिपोर्टिंग साल (31 मार्च) के बाद रिपोर्टिंग इकाई का सिन नंबर बदल गया है, तो इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के लिए पुराने सिन के साथ एफएलए रिटर्न फाइल करना होगा। इसलिए, जब इकाई उसी रेफरेंस रिपोर्टिंग अवधि के लिए संशोधित एफएलए रिटर्न फाइल करेगी, तो पुराने सिन का इस्तेमाल किया जाएगा।

प्रश्न 39. क्या हमें "Sales/Domestic Sales" में ये रिपोर्ट करने की ज़रूरत है:

(a) फॉरेन इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई, इंटरेस्ट इनकम

(b) फिक्स्ड डिपॉजिट पर कमाया गया इंटरेस्ट?

(c) फिक्स्ड एसेट की बिक्री से होने वाली बिक्री की रकम

(d) प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 'अन्य इनकम' हेड के तहत बताई गई दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम

(e) प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मौजूद फॉरेन करेंसी में उतार-चढ़ाव पर प्रॉफिट

यानी, क्या Sales में सिर्फ़ ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू शामिल है?

उत्तर: इकाई को सिर्फ़ रेगुलर बिज़नेस एक्टिविटी/मकसद के हिस्से के तौर पर हुई सेल्स/कमाई की रिपोर्ट करनी होती है। यह ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू है (यानी, सामान और सर्विस की बिक्री)। हालांकि, अगर रिपोर्टिंग इकाई का प्राइमरी रेवेन्यू इंटरेस्ट/कमीशन/फॉरेन एक्सचेंज या रीवैल्यूएशन गेन से है, जैसे हायरिंग/लीजिंग/मनी चेंजिंग एंटिटीज़, वगैरह, तो उन्हें ऑपरेशन से होने वाले प्राइमरी रेवेन्यू के तौर पर रिपोर्ट करना होगा।

प्रश्न 40. क्या हमें "परचेज़/डोमेस्टिक परचेज़" के तहत ये रिपोर्ट करने की ज़रूरत है

(a) फिक्स्ड एसेट्स की खरीद की कॉस्ट/ एसेट एक्विजिशन के लिए कैपिटल खर्च

(b) फाइनेंशियल ईयर के दौरान हासिल की गई गुडविल

(c) कैपिटलाइज़्ड इनटैंजिबल एसेट्स

(d) ऐसे कैपिटलाइज़्ड इनटैंजिबल एसेट्स के संबंध में अमॉर्टाइज़ेशन

(e) नॉन-कैश एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन, इंट्रा-ग्रुप ट्रांसफर जिसमें कैश आउटफ्लो शामिल नहीं है

(f) टैक्स खर्च (जैसे इनकम टैक्स, GST पेड, वगैरह)

(g) क्या "प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट" को कैपिटल परचेज़ माना जाएगा

(h) ऑपरेटिंग खर्च जैसे सैलरी और वेज, एडमिन खर्च, रेंट और यूटिलिटी बिल, प्रोफेशनल फीस पेड, इनडायरेक्ट खर्च

उत्तर: कृपया एफएलए रिटर्न में उन खर्चों/खरीदारी की रिपोर्ट करें जो सिर्फ़ नियमित व्यवसाय संचालन के हिस्से के तौर पर किए गए हैं।

प्रश्न 41. क्या खंड II, आइटम 5 के तहत कुल खरीद को गणना करते समय उन प्रीपेड खर्चों पर विचार किया जाना चाहिए, जिनका भुगतान पिछले साल किया गया था, लेकिन इस साल बुक किया गया?

उत्तर: साल के दौरान हुए खर्चे ही रिपोर्ट करने हैं, जो बिज़नेस ऑपरेशन के लिए किए गए हैं। प्री-पेड खर्च को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है।

प्रश्न 42. "सेल्स एंड परचेज़" के तहत वैल्यू कैसे रिपोर्ट करें, क्योंकि हमारी इकाई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ में लगी हुई है और कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करती है। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेशन से होने वाले रेवेन्यू को ट्रेडिंग के तौर पर क्लासिफाई नहीं किया जाता है।

उत्तर: रेगुलर बिज़नेस ऑपरेशन के लिए हुई इनकम/खर्च के आधार पर सेल्स और परचेज़ की रिपोर्ट की जा सकती है। अगर कोई ट्रेडिंग नहीं भी होती है, तो भी प्राइमरी इनकम/खर्च होता है। इसकी रिपोर्ट करनी होगी।

प्रश्न 43. क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेंटर अथॉरिटी (IFSCA) के रेगुलेशन के दायरे में आने वाली किसी इकाई के लिए फाइनेंशियल ईयर का एफएलए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, अगर उसे भारत के बाहर से इन्वेस्टमेंट मिला है या उसने भारत के बाहर इन्वेस्टमेंट किया है?

उत्तर: हाँ। ऐसी इकाईयों को सलाह दी जाती है कि वे एफएलए रिटर्न फाइल करने के लिए IFSCA द्वारा जारी संबंधित निर्देशों का पालन करें। इन इकाईयों को RBI के पास एफएलए रिटर्न फाइल फाइल करने की ज़रूरत नहीं है।

प्रश्न 44. अगर कोई विदेशी कंपनी IFSC में अपनी सब्सिडियरी बनाती है, तो क्या उस निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) माना जाएगा और क्या उस सब्सिडियरी पर एफएलए फाइलिंग लागू होगी?

उत्तर: हाँ, IFSC में मौजूद सब्सिडियरी में किए गए निवेश को 'भुगतान संतुलन' और बाहरी सेक्टर के अन्य आँकड़ों को तैयार करने के लिए 'आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश' (देश में आने वाला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) माना जाएगा। ऐसी सब्सिडियरी को एफएलए रिटर्न जमा करना होगा और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए IFSCA के ज़रूरी निर्देशों का पालन करें। इन इकाईयों को RBI के पास एफएलए रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। (प्रश्न 43 देखें)।

प्रश्न 45. एक भारतीय इकाई (इकाई A) ने एक ऐसी इकाई (इकाई B) में निवेश किया है जो IFSCA द्वारा रेगुलेटेड है। क्या इस लेन-देन को इकाई B के लिए विदेशी निवेश माना जाएगा? क्या इकाई A को ODI के रूप में किए गए ऐसे इक्विटी निवेश की जानकारी एफएलए में देनी होगी?

उत्तर: a) इकाई A (भारतीय इकाई): चूंकि इकाई B, IFSC में स्थित है, इसलिए इकाई A द्वारा किया गया निवेश भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति (FEMA, 1999 के सीमित उद्देश्य के लिए) में किया गया निवेश है। इकाई A, जो खुद FEMA के तहत भारत में रहने वाली इकाई है, उसे FEMA की लागू रिपोर्टिंग ज़रूरतों का पालन करना जारी रखना होगा, जिसमें इकाई B में अपने आउटबाउंड निवेश के संबंध में एफएलए रिपोर्टिंग भी शामिल है।

(b) इकाई B (IFSC इकाई): इकाई A द्वारा इकाई B में किए गए खास निवेश के लिए, इकाई B को एफएलए रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी इकाई इस मामले में IFSCA द्वारा जारी संबंधित निर्देशों का पालन कर सकती है।

प्रश्न 46. विदेश की एक इकाई (इकाई X) ने IFSCA के रेगुलेशन के तहत आने वाली एक इकाई (इकाई Y) में निवेश किया है। इसके बाद इकाई Y एक भारतीय इकाई (इकाई Z) में निवेश करती है। क्या इस लेन-देन को इकाई Z के लिए विदेशी निवेश माना जाएगा और ऐसे मामले में रिपोर्टिंग की क्या ज़रूरत होगी?

उत्तर: a) इकाई Y (IFSC इकाई): IFSC में इकाई Y में किए गए निवेश को 'भुगतान संतुलन' और बाहरी सेक्टर के अन्य आँकड़ों को तैयार करने के लिए 'आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश' (देश में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) माना जाएगा। इकाई Y को FLA रिटर्न जमा करने के लिए IFSCA द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एफएलए रिटर्न जमा करना होगा। इकाई Y को RBI के पास एफएलए रिटर्न जमा करने की ज़रूरत नहीं है। (प्रश्न Q43 देखें)।

(b) इकाई Z, जो FEMA के तहत भारत का निवासी है, उसे RBI द्वारा जारी लागू FEMA रिपोर्टिंग नियमों का पालन करना होगा, जिसमें इकाई Z को इकाई Y से मिले निवेश (इनबाउंड इन्वेस्टमेंट) के लिए एफएलए रिपोर्टिंग भी शामिल है।